प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

सतत पैरवी कर दुष्कर्म के प्रयास के अभियुक्त को करायी गयी सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना बिसवां से सम्बन्धित मु0अ0स0 114/13 धारा 376/511 भा.द.वि. बनाम रन्नू पुत्र भीखा पासी निवासी सलेमपुर थाना सकरन जनपद सीतापुर में बिसवां पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 03.02.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-16 (पाक्सो एक्ट) श्री हितेन्द्र हरि द्वारा अभियुक्त रन्नू उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376/511 भा.द.वि में 05 वर्ष कठोर कारवास एवं 10,000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

---------------O---------------